न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 70/2018/अपील

मंगला पुत्र स्व0 बलदेव सैनी जाति माली निवासी ढ़ाणी नोवड़ी वार्ड नं. 15 छावनी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. बंशी पुत्र स्व0 बलदेव सैनी जाति माली निवासी ढ़ाणी नोवड़ी वार्ड नं. 15 छावनी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
2. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक भू.अ./18/3496—98 दिनांक 31.05.2018 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर बाबत किए जाने सीमाज्ञान एवं तदन्तर्गत बनायी गयी फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2018

वकील अपीलांट श्री प्रहलादराय सैनी
वकील रेस्पोडेंट श्री सागरमल धायल

निर्णय **दिनांकः—18.10.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1927/4 रकबा 0.80 है0 अपीलांट की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के कब्जे काश्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1927/3 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 1927/5 रकबा 0.10 है0 है। उक्त भूमियों के खातेदारान अपीलांट व रेस्पो. संख्या 1 ने सहमति से दिनांक 09.01.2008 को विभाजन लेख निष्पादित करवाया है। तथा उक्त विभाजन लेख के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1927/4 अपीलांट के हिस्से में आई तथा खसरा नम्बर 1927/3 व 1927/5 रेस्पोडेंट सं. 1 के हिस्से में आई। उसी वक्त भूमियों की सीमा जरिये विभाजन लेख के अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1 ने विभाजन लेख द्वारा कायम की गई। खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1927/4 की पिश्चमी सिमा व 1927/3 की पूर्वी सिमा के मध्य सीमा पर डिमार्केशन के समय ही डिमार्केशन लाईन के उपर मौके पर सीमेंट रोडी के पीलर लगा रखे है, जो मिट्टी में करीब 3—4 फिट नीचे तक भरे हुए है। जिससे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त डिमार्केशन मौके पर विभाजन के समय से ही प्रभावी है। भूमि खसरा नं. 1927/4 व 1927/3, 1927/5 के मध्य कायम डिमार्केशन (सींव) लोईन को नष्ट व छेडछाड करने से रोकने के लिए अपीलांट द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश, नीमकाथाना में डिमार्केशन (सींव) लाईन की सुरक्षा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। जिसमे रेस्पोडेंट सं. 1 एवं उसके पुत्रगणों द्वारा विभाजन लेख के द्वारा कायम डिमार्केशन (सींव) लाईन को नष्ट करके अपीलांट की कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1927/4 में कब्जा करने की नियत से नीमकाथाना तहसील में कार्यरत अपने पुत्र मोहनलाल के जरिये सीमाज्ञान आवेदन तहसीलदार, नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत किया।

Web Copy - Not Official

जिस पर तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ने अपने आदेश दिनांक 31.05.2018 के द्वारा सीमाज्ञान आदेश पारित किया गया। विवादित खसरा नम्बर 1927/3 व 1927/4 के संबंध में समक्ष न्यायालय में दावा जेर तजवीज होते व मामला सबज्युडिस हेाते हुये योग्य तहसीलदार को उक्त भूमि के संबंध में सीमाज्ञान करवाने का आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नही होते हुये भी उन्होने अपना आदेश जेर अपील देने में गलती की है। योग्य अधीनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना का आदेश दिनांक 31.05.2018 के आधार पर की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2018 तैयार करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना व नोटिस नही दिया गया। उक्त रिपोर्ट गोपनीय ढंग से रेस्पोडेंट सं. 1 एवं उसके पुत्रगणो की मिलीभगत से अपीलांट के खसरा नम्बर 1927/4 में अवैध निर्मित दीवार को वैध घोषित करने के लिए यह है कि अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1927/4 व 1927/3, 1927/5 के मध्य डिमार्केशन(सींव) लाईन की सुरक्षा हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश नीमकाथाना में वाद प्रस्तुत कर रखा है। जो विचाराधीन है, जिसमे आगामी पेशी 07.07.2018 है। माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया है। तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष रेस्पोडेंट सं. 1 ने सीमाज्ञान आवेदन ख.सं. 1927/3 व 1927/2, 1927/6, 1928 का करवाने हेतु प्रस्तुत किया था। जब कि तहसीलदार द्वारा गठित टीम ने केवल खसरा नम्बर 1927/3 का सीमाज्ञान गलत बिन्दु तय करके मनगढन्त लम्बाई चौडाई दर्शा कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हित में फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान तैयार कर तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत की गई है। खेतो की सीमा विवाद तैयार करने का अधिकार केवल मात्र लैण्ड रिकार्ड आफिसर अर्थात एस.डी.ओ. को ही है, तहसीलदार को सीमाज्ञान करवाने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं होते हुये भी अपना आदेश जेर अपील पारित किया है। भू राजस्व अधिनियम में सीमाज्ञान करवाने का कोई प्रावधान नही होते हुये भी योग्य अधिनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना ने अपना आदेश जेर अपील पारित करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित जेर अपील निर्णय दिनांक 31.05.2018 व उक्त आदेश के आधार पर तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2018 निरस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन करने पर प्रार्थी बंशीधर सैनी द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष सीमाज्ञान करवाये जाने बाबत दिनांक 25.05.2018 को आवेदन पेश किया गया। उक्त आवेदन पर विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा हल्का पटवारी एवं ऑफिस कानूनगो की रिपोर्ट ली गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार होना व वर्तमान में कोई फसल नहीं होना अंकित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2018 में अंकित किया गया है कि "मौके पर खसरा नम्बर 1929 गै.मु.चाह को पुख्ता बिन्दु नाप कर खसरा नम्बर 1927/3 की उत्तरी पूर्वी सीमा 47 मीटर दूरी पर कायम की गई तथा खसरा नम्बर 1927/3 का दक्षिण पश्चिम कोना 144 मीटर दूरी पर फीता चलाकर मुताबिक नक्शा कायम किया गया। खसरा नम्बर 1927/3 पर निर्माणाधीन चार दिवारी खसरा नम्बर 1927/3 में ही आ रही है।" अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मेंमों के बिन्दु संख्या 8 व 9 में अंकित किया है कि खेतों की सीमा विवाद तय करने का अधिकार केवल मात्र लैण्ड रिकार्ड आफिसर अर्थात एस.डी.ओ. को ही है, भू–राजस्व अधिनियम में सीमाज्ञान करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समक्ष प्रार्थी द्वारा आवेदन पेश करने पर आवेदन के सम्बंध में हल्का पटवारी व ऑफिस कानूनगो की रिपोर्ट ली जाकर नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राशि जमा ली जाकर सीमाज्ञान आदेश पारित किया है। सीमाज्ञान आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को ही है। यदि सीमाज्ञान को लेकर कोई विवाद की स्थिति है तो सम्बंधित पक्ष धारा 111, 128 के तहत प्रावधानों के अनुरूप विवाद समाधान/पत्थरगढ़ी हेतु सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश विधिवत रूप से पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official